

-: आदेश :-

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है। तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। उक्त वस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थियों की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :- नाम ग्राम- पटवार मण्डल-

पूर्व इन्द्राज				स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
क. सं.	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा
1	2	3	4	5	6	7
1.	लीकाराम पुत्र खन्नाराम हिस्सा 1/15 आरि माली सा. देह खातेदार	598	0.02	लीकाराम पुत्र खन्नाराम हिस्सा 1/15 आरि माली सा. देह खातेदार	598	0.02
		599	0.02		599	0.02

क्रमांक : 188/77  
प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. तहसीलदार डीडवाना (मौलावर)

Wlas  
उपखण्ड अधिकारी  
डीडवाना

दिनांक : 24/2/2025

क्रमांक :  
प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. पटवारी हल्का .....को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्णयानुसार पालना सुनिश्चित करें।

Wlas  
उपखण्ड अधिकारी  
डीडवाना

दिनांक :

तहसीलदार



(80) न्यायालय  
मौलावर